(90)

संख्याः– 997 /VI(1)/2012–03(26)/2007

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 संधु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक // जुलाई, 2012

विषयः–"हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनिकीरेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट" योजना के अन्तर्गत पन्तद्वीप घाट के कार्य की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र पोषित हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनिकीरेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट योजना अनुमानित लागत ₹ 4452.22 लाख के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त धनराशि ₹ 3561.77 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अवशेष धनराशि प्राप्त न होने के कारण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ₹ 400.00 लाख की योजना 'कांगड़ा सेतु के अपस्ट्रीम में पन्तद्वीप स्थल के समीप पन्तद्वीप घाट' हेतु भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि ₹ 370.00 लाख के व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 30.00 लाख अवमुक्त किये जाने विषयक आपके पत्र संख्या–104/2–6–522 (आस्था पथ/घाटों का निर्माण)/2008/2012, दिनांक 18 जून, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में केन्द्र पोषित योजना अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं की मद में ₹ 30.00 लाख (₹ तीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(I) उक्त धनराशि का उपयोग उक्त योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(II) उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 30 सितम्बर, 2012 से पूर्व पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) तत्काल भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए अवशेष 20 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन के इस विभाग को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(III) उपरोक्तानुसार प्रतिपूर्ति की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होते ही उक्त ₹ 30.00 लाख की धनराशि को राज्य सरकार के राजकोष में जमा कराकर शासन को अवगत कराते हुए रसीद की प्रति शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(IV) सम्बन्धित जिला पर्यटक विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय–समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करायेगें एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफ्स अवश्य शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा।

..2

(V) कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

(VI) स्वीकृत की गयी धनराशि का किसी भी दशा में किसी अन्य मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(VII) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–417/XXVII(2)/2012, दिनांक 03 जुलाई, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S1207260205 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 संधु)
सचिव।

संख्याः– 997/VI(1)/2012–03(26)/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार।
5– जिला/क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार।
6– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– वित्त अनुभाग–2.
9– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।